



सत्यमेव जयते

आयकर आयुक्त - I का कार्यालय, कोल्हापुर

आयकर भवन, 31 सी/2, ताराबाई पार्क, कोल्हापुर

फा. सं. को./आ.-I/तक/12.कक (12 AA)/17-3/2013-14/2238

दिनांक- 16.12.2013

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 कक (12AA) के अधीन

पंजीकरण प्रमाण-पत्र

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 कक (12AA) के अंतर्गत न्यास/ संस्थाओं के आवेदन के लिए रखे हुए रजिटर में क्रमांक- 17/3 पर ~~मेंटरस् फाऊंडेशन~~ ~~ता.शगांव ता. ता.शगांव, जि. सांगली~~ के आवेदन की प्रविष्टि कर दी गई है।

2. उपर्युक्त न्यास / संस्था को जारी किया जा रहा यह प्रमाणपत्र दिनांक 01.04.2013 से वैध होगा तथा इस कार्यालय द्वारा पंजीकरण रद्द करने तक वैध रहेगा।

3. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 (क)(2) की ओर न्यास / संस्था ध्यान आकर्षित किया जाता है उसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (4 क) के अंतर्गत आयकर विवरणी दाखिल करनी होगी तथा आयकर नियमावली 1962 के नियम 17 ख (17 B) का पालन करना होगा और प्रारूप नंबर 10 ख (10 B) में लेखा रिपोर्ट देनी होगी।

दिनांक : 16.12.2013

कोल्हापुर

(एन.पी. सिंह)

आयकर आयुक्त - I कोल्हापुर

नोट :

1. न्यास / संस्था धार्मिक न्यास / धर्मादाय न्यास / संस्था के रूप में पंजीकृत की गयी है।
2. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 (कक) (2) [12(AA)(2)] के अंतर्गत जारी इस प्रमाणपत्र से किसी न्यास / संस्था को अपनी आय पर कर से छूट का दावा प्रस्तुत करने के लिए स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है क्योंकि इस प्रकार की छूट आयकर अधिनियम की धारा 11, 12, 12 क(क) और 13 में इस संबंध में निर्दिष्ट अन्य सभी शर्तों को पुरा किए जाने पर निर्भर है।
3. धर्मादाय न्यास / संस्थाओं के दानकर्ता धारा 80 छ (80G) के अधिन कर राहत के लिए पात्र होने संबंधी अलग से प्रमाणपत्र दिया जायेगा।

प्रति :

1. न्यास / संस्था ~~मेंटरस् फाऊंडेशन, ता.शगांव, ता. ता.शगांव,~~ ~~जि. सांगली~~
2. आयकर अपर / संयुक्त आयुक्त रेंज - 1/2, कोल्हापुर / सांगली
3. आयकर सहायक आयुक्त / आयकर अधिकारी
वार्ड-1(4) कोल्हापुर / सांगली

(ए. व्ही. जोशी)

आयकर अधिकारी (न्यायिक व तकनीकी)
कृते आयकर आयुक्त - I कोल्हापुर